कार्यालय, नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

उपविधि सूचना

11 मार्च, 2015 ई0

संख्या–यू0 चार्जे0/2014–15/632–नगर निगम, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन को नियमित/नियंत्रित करने हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) लागू किये जाने हेतु उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे कि नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिस पर कि इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियां एवं सुझाव उचित माध्यम द्वारा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः अब यह उपविधि लागू किये जाने हेतु अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और हथालन नियम, 2000 के अन्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज), नियम, 2011 होगा।

2. जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है, उसके अतिरिक्त में राजकीय गजट में प्रकाशन के प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रवृत्त होगा।

3. लागू होना–ये नियम नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रह, पृथक्करण भण्डारण, परिवहन, प्रसंकरण तथा व्ययन के संचालन एवं रख–रखाव के लिये होगा।

नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम भारत का राजपत्र दिनांक 25.09.2000 के प्राविधानों पर निम्न उपविधियों व शुल्क आरोपण किये जाने हेतु।

उपविधि नियमावली :

1. यह उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर सीमान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन योजना के संचालन एवं रख–रखाव हेतु उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि 2011 कहलायेगी।

2. उक्त उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर सीमान्तर्गत प्रभावी होगी।

परिभाषा :

नगर निगम से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर है।

1. "प्रशासक/मेयर" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर से है ;
2. "मुख्य नगर अधिकारी" से तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, रूद्रपुर है ;
3. "नगर स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, रूद्रपुर से है ;
4. "स्वच्छता समिति" से तात्पर्य नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा मौहल्लों में गठित स्वच्छता समिति से है।

उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) शुल्क सूची :

क्र0 सं0	वर्ग/श्रेणी	दर प्रतिमाह
1	2	3
1.	प्रति परिवार	₹ 50
2.	ढाबा	₹ 350
3.	रेस्टोरेन्ट	₹1000
4.	पान स्टॉल/टी–स्टॉल/ठेले	₹ 75

1	2	3
5.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला 01 से 10 कमरों का	₹ 1000
6.	होटल/गेस्ट हाउस/धर्मशाला 11 से 20 कमरों का	₹ 1500
7.	तीन सितारा होटल	₹ 2500
8.	पाँच सितारा होटल	₹ 5000
9.	कार्यालय	₹ 250
10.	समस्त प्रकार की फैक्ट्री	₹ 1000
11.	राईस मिल	₹ 2500
12.	वर्कशॉप–2 पहिया वाहन	₹ 250
13.	वर्कशॉप–4 पहिया वाहन	₹ 500
14.	अन्य वर्कशॉप	₹ 500
15.	2–4 पहिया वाहनों के शोरूम	₹ 1000
16.	अन्य समस्त प्रकार की दुकानें–प्रति दुकान	₹ 100
17.	सिनेमा हॉल	₹ 1200
18.	बेकरी/फूड प्वाइन्ट एवं बेकरी आउटलेट	₹ 500
19.	हॉस्टल 01 से 50 कमरों का	₹ 1000
20.	हॉस्टल 50 कमरे अथवा उससे अधिक	₹ 1500
21.	बैंक	₹ 250
22.	फास्ट फूड	₹ 500
23.	स्वीट शॉप साधारण	₹ 350
24.	स्वीट शॉप ब्राण्डेड	₹ 500
25.	बेजीटेबिल/फल–सब्जी की दुकान	₹ 200
26.	फल–सब्जी की आढ़त	₹ 500
27.	गल्ला आढ़त दुकानें	₹ 500
28.	गुड़ आढ़त	₹ 500
29.	स्कूल (सरकारी)	₹ 200
30.	स्कूली (प्राइवेट)	₹ 1000
31.	अन्य अधिष्ठान	₹ 500
32.	बारातघर/बैंकट हॉल	₹ 2500
33.	बार	₹ 500

शुल्क वसूली :

1. नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा नियुक्त प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति के द्वारा निर्धारित रसीद द्वारा की जायेगी।

2. नियमित समय के अन्दर शुल्क भुगतान न करने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूली जायेगी।

3. शुल्क वसूली हेतु नगर निगम/आई0एस0डब्लू0एम0 क्रियान्वयन संस्था निर्धारित प्रारूप पर मांग/वसूली रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें प्रतिमाह/प्रतिदिन अथवा निगम/संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समिति द्वारा समय-समय पर जनसुविधानुसार शुल्क वसूली की जा सकेगी। वार्षिक शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में एक मुस्त जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी। उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) एवं दण्ड वसूलने हेतु नगर निगम, रूद्रपुर के मुख्य नगर अधिकारी अथवा निगम द्वारा अधिकृत एस0डब्ल्यू0एम0 को क्रियान्वित करने वाली संस्था/मौहल्ला स्वच्छता समितियां अधिकृत होंगी। बकाये की वसूली भू-राजस्व की भांति की जायेगी।

4. प्रतिमाह/प्रतिदिन दैनिक आय का संलग्न प्रारूप का सत्यापन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

5. उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) वसूली अनुसूची में समय-समय पर जन सुविधानुसार नियमों में परिवर्तन के लिये नगर निगम में निहित होगा।

6. विशेष परिस्थितियों में आवेदन करने पर अतिनिर्धन व्यक्ति/संस्था का उक्त शुल्क से छूट देने का अधिकार निगम में निहित होगा।

शास्ति

नगर निगम, रूद्रपुर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजनान्तर्गत उपभोग शुल्क (यूजर चार्जेज) उपविधि का उल्लंघन करने पर नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अधीन कार्यवाही/जुर्माना/अर्थदण्ड, जो ₹ 1000 तक होगी, यदि निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 50 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा। यदि उपभोक्ता (यूजर) कूड़ा अलग-अलग डिब्बों में पृथकीकरण कर नहीं रखता है तो यूजर चार्जेज दो गुने देय होंगे।

निधि यादव,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

सोनी कोली,
मेयर,
नगर निगम, रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/195-भाग 8-2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।